



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 2370/ 2026

राज कुमार और 5 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : मुकेश कुमार पांडे
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रशांत की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे वर्ष 2013 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सबा शंकर दुबे बनाम संभागीय वन अधिकारी और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 10956/2018 में दिनांक 14.11.2018** को दिए गए निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
4. रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर करे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 17, 2026

ऐमन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”